न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती देवयानी (R.A.S.)

वाद संख्या :–50 / 2017

1. दाखा देवी पत्नी स्व0 बाबूलाल
2. विष्णु कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल
3. कृष्ण कुमार पुत्र स्व0 बाबूलाल
   समस्त जाति जांगिड, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं
   जिला जयपुर

–प्रार्थीगण

बनाम

1. मुलचन्द पुत्र रामसहाय
2. राजेन्द्र पुत्र रामसहाय
   समस्त जाति जांगिड, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं
   जिला जयपुर।

–अप्रार्थी / वादी

3. मालीराम पुत्र चौथमल, जाति जांगिड, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूं जिला जयपुर।

–अप्रार्थी / प्रतिवादी

(प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा)

प्रार्थना पत्र तहत आदेश 39 नियम 4 सी0पी0सी0 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0

आदेश

दिनांक:– 03.07.2019

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1109, 1110, 1111, 1112, 1114, 1115, 1116, 1164 कुल किता 8 का कुल रकबा 2.39 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम गोविन्दगढ, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर में स्थित हैं, जिसके बाबत एक विभाजन का वाद मान्य न्यायालय के यहां वाद संख्या 72 / 2013 उनवानी मूलचन्द बनाम मालीराम विचाराधीन हैं। वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थना [illegible]यी निषेधाज्ञा संख्या 63 / 2013 में दिनांक 03.06.2013 को एकपक्षीय [illegible] अप्रार्थीगण को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु [illegible] था। जिसमें उक्त [illegible]त्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

में प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 बाबूलाल को जानबूझ कर पक्षकार नहीं बनाया गया था व बिना पक्षकार संयोजित किये एकपक्षीय रूप से सम्पूर्ण रकबे पर पारित करवा लिया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तथा अन्य सह खातेदारों ने कई वर्षों से भूमि को मनबंट से बाट रखा हैं तथा उक्त भूमि एन0एच0 52 पर स्थित है तथा मुख्य सडक पर लगवा भूमि पर अप्रार्थीगण मालीराम, राजेन्द्र के कब्जे की भूमि हैं, जबकि प्रार्थीगण की भूमि इनकी भूमि के पीछे की भूमि हैं जिस पर उसने पुख्ता मकान बना रखा हैं जिसमें अपने परिवार सहित रह रहे हैं तथा भूमि में मुख्य सडक की ओर से आ जा रहे हैं, परन्तु दिनांक 02.01.2017 को प्रार्थीगण के पिता/पति बाबूलाल की मृत्यु हो जाने के बाद से अप्रार्थीगण व कैलाश, बिहारी,किशन, धर्मवीर, श्यामसुन्दर, ताराचन्द ने आपस में मिलकर नाजायज गिरोह बनाकर प्रार्थीगण के परिवारजन को परेशान करने लगे, तथा प्रार्थीगण को अपनी भूमि से सडक की ओर जाने में बाधा कारित कर लडाई झगडा करते हैं। दिनांक 22.10.2017 को अप्रार्थीगण ने व कैलाश, बिहारीलाल, किशन लाल पुत्रान रामगोपाल से मिलकर नाजायज गिरोह बना कर शामलाती वादग्रस्त भूमि की सडक की ओर आने जाने नहीं दे रहे हैं तथा वादग्रस्त भूमि में कृषि कार्य हेतु साधन आने नहीं दे रहे हैं तथा न्यायालय श्रीमान के आदेश दिनांक 03.06.2013 को दिये गये यथास्थिति के आदेशों की खुल्ली अवहेलना कर रहे हैं जिस कारण प्रार्थीगण को अपनी भूमि का उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करना सम्भव नहीं रहा हैं। जिससे प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि पर कृषि कार्य करना मुश्किल हो रहा हैं।

विवादग्रस्त भूमि के वाद पत्र में वर्णितानुसार अभिवचनों के अनुसार कोई स्थायी बंटवारा नहीं होना वर्णित कर प्रस्तुत किया हैं, ऐसे में प्रत्येक इंच पर प्रत्येक खातेदार की कब्जे काश्त होने की अवधारणा को इन्कार नहीं किया जा सकता, वादग्रस्त भूमि पर जो बाहमी बंटवारे में प्रार्थीगण के हिस्से में आई भूमि पर काश्त करने हेतु विद्यमान रास्ते हेतु छोडी गई भूमि पूर्व पश्चिम कृषि भूमि को अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा तारबन्दी कर रोक दिया गया हैं, जिससे कृषि में फसल पैदा करना एवं कृषि कार्य करना असम्भव हो गया हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 63/2013 में पारित किये गये एकपक्षीय स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2013 में फेरफार कर वादग्रस्त भूमि में स्थित आने जाने कृषि कार्य हेतु छोडी गई भूमि पर खिंचे गये तारों को हटवाया जाकर दावा दायरी की स्थिति को बहाल करवाया जाने [illegible] करावें।

अप्रार्थीगण/वादीगण संख्या [illegible] 2 की [illegible] से [illegible] प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है कि प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 [illegible] वाद कारण उत्पन्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

नहीं हुआ था इस कारण केवल अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 को ही उक्त प्रकरण में बतौर अप्रार्थी पक्षकार बनाया गया और न्यायालय श्रीमान ने उक्त प्रार्थना पत्र में मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्रदान किये गये। जब प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में पक्षकार ही नही हैं ना ही अभी तक न्यायालय श्रीमान द्वारा वाद पत्र व प्रार्थना पत्र में बतौर वादी व अप्रार्थी बाबूलाल के बतौर कायम मुकामान पक्षकार ही नही बनाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को उक्त प्रार्थना पत्र पेश करने का कतई कोई हक अधिकार प्राप्त नही हैं, इस कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बिना हक अधिकार के पेश किया गया हैं। विवादित भूमि का विधिवत तकासमा खातेदारो के मध्य नही हुआ है, तथा उक्त भूमि वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में शामलाती ही हैं, तथा अर्से दराज से खातेदारान अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं, परन्तु अभी तक उक्त भूमि का विधिवत तकासमा हुये बिना प्रतिवादीगण के द्वारा बेचान आदि की कार्यवाही करने तथा मुख्य रोड की भूमि अन्य को सम्भलाये जाने के कारण मिन अप्रार्थीगण/वादीगण ने उक्त वाद व प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष विधिवत तकासमा करवाने हेतु पेश किया हैं, जो न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन हैं, वर्तमान में उक्त भूमि में किसी प्रकार का कोई रास्ता विद्यमान नही हैं, उसके बावजूद भी प्रार्थीगण मिन अप्रार्थीगण/वादीगण की खातेदारी कब्जेशुदा भूमि में से होकर जबरन रास्ता कायम करना चाहते हैं, जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही हैं।

अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया गया है कि दिनांक 03.06.2013 को एकपक्षीय आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया जाना स्वीकार है। प्रार्थीगण ने जिस प्रकार से मनबंट के आधार पर जमीन को बांट रखा है एवं नाजायज गिरोह बनाकर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण के परिजनों को परेशान करने एवं लडाई झगडा करके किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करना प्रार्थीगण द्वारा आरोप लगाये जाना बिल्कुल सरासर गलत है। अप्रार्थीगण के पति एवं पिता दिवंगत हुए तो उस वक्त पूर्ण सहयोग करते हुए अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी स्वयं की जमीन आने वालों के लिए उपलब्ध करवाई।

अप्रार्थी/वादी की ओर से प्रार्थना पत्र बाबत प्रारम्भिक आपत्ति इस आशय से पेश किया कि प्रकरण में अप्रार्थी/वादी द्वारा एक वाद बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया था। जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 बाबूलाल के वारिसान के द्वारा प्रार्थना पत्र प्रीमेच्योर स्टेज पर पेश किया गया [illegible] के दौरान ना तो उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण. बतौर प्रतिवादी/अप्रार्थी [illegible] ना ही न्यायालय ने इनको विधिसम्वत तरीके से उक्त प्रकरण [illegible] प्रार्थीगण द्वारा उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
चौमूं (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रकरण में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पूर्व में पेश किया था जो आज न्यायालय श्रीमान द्वारा स्वीकार किया गया हैं, तथा उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण आज अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण पक्षकार बनाये गये हैं। इससे पूर्व ना तो प्रार्थीगण उक्त प्रकरण में पक्षकार थें, इस कारण उक्त प्रकरण को पेश करने का प्रार्थीगण को कतई कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थी/वादीगण द्वारा तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया हैं, जिसमें आज दिनांक तक प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में जवाब देही पेश नही की ना ही प्रार्थीगण के द्वारा उक्त प्रकरण में जवाब देही पेश की गई। जबकि तकासमें के दावे के विचाराधीन रहने के दौरान पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने से पूर्व किसी प्रकार का कोई निर्णय किया जाना विधि व न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

प्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से लिखित अन्तिम बहस यह कथन किया है कि प्रकरण में विवादित भूमि को मनबंट से बंटवारा हो रखा हैं ऐसा वादीगण ने अपने वाद पत्र में स्वीकार किया हैं तथा वादीगण व प्रार्थी/प्रतिवादीगण विवादित भूमि के सह–काश्तकार हैं व वादीगण ने वाद के साथ पेश प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में प्रार्थीगण के पिता/पति स्व0 श्री बाबूलाल को बिना पक्षकार बनाये न्यायालय श्रीमान से मुकदमा नम्बर 63/13 में दिनांक 03.06.2013 को एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर अप्रार्थीगण को विवादित भूमि के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश प्राप्त कर लिये तथा इस स्थगन आदेश की आड में दिनांक 22.10.2017 को वादग्रस्त भूमि की सडक की ओर की भूमि पर तारबन्दी कर प्रार्थीगण के रास्ते को बन्द कर दिये हैं, जिससे वे तथा उनके कृषि कार्य के लिये साधन आ जा नहीं रहे है। जब भूमि सह–खातेदारी की हैं तथा मनबंट से बंटी हुई हैं तो प्रत्येक सह–काश्तकार को भूमि के उपयोग उपभोग के लिये रास्ता होना नितान्त आवश्यक हैं,परन्तु वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश का दुरूपयोग कर सडक की ओर की भूमि की तारबन्दी कर दी हैं तथा किसी को भी आने जाने नहीं दे रहे हैं। वादीगण द्वारा न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश दिनांक 03.06.2013 का खुला दुरूपयोग किया जा रहा है तथा प्रशासनिक अधिकारियों को मौका देखने अथवा वादी व प्रतिवादीगण का झगडा मार्ग रोकने आदि के लिये मौके पर आने पर न्यायालय अवमानना की धमकीया दी जाती रही हैं तथा एक अवमानना का प्रार्थना पत्र श्रीमान के यहा पेश भी कर रखा हैं जो यह साबित करता हैं कि वादीगण न्यायालय श्रीमान के [illegible] कर रहे हैं।

पत्रावली का अवलोकन कि[illegible] र मनन किया गया तथा तहसीलदार चौमूं की पटवा[illegible] रिपोर्ट व तथ्यात्मक रिपोर्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

का अवलोकन किया गया। मूल वाद तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का है तथा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा संख्या 63/2013 में दिनांक 03.06.2013 को एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित कर अप्रार्थीगण को मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्दित किया हुआ था। उक्त भूमि को प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण तथा अन्य सह खातेदारों ने मनबट से बाट रखा है तथा जब तक भूमि का विधिवत बंटवारा नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक सहखातेदार का भूमि के प्रत्येक इंच पर बराबर का हक, हिस्सा व अधिकार होता है तथा किसी भी सहखातेदार को आवागमन हेतु रास्ते से वंचित नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का आंशिक रुप से स्वीकार किया जाकर सभी सहखातेदारों को निर्देशित किया जाता है कि जब तक मूल वाद संख्या 72/2013 उनवानी मूलचन्द बनाम मालीराम निर्णित नहीं हो जाता तब तक किसी भी सहखातेदार के आने जाने व रास्ते में बाधा कारित नहीं करें।

आदेश आज दिनांक 03.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले नयायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devyani
Date: 2021.08.16 13:47:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner